दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

निविदा प्रपत्र

पेराई सत्र–2019–20
(CRUSHING SEASON 2019-20)

// श्रमिकों के माध्यम से कार्य कराने हेतु //

(निविदा दिनांक 27.11.2019)

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.)
फोन–07749–212201
टोल फी नं. 18002331255

फार्म शुल्क : 1000/–

निविदा का विवरण

तकनीकी भाग – एक **लिफाफा क्रमांक –1**

प्रति,

प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला–बालोद(छ.ग.)

निविदा सूचना नं. 468 **दिनांक 14/11/2019**

1. फर्म का विवरण

1 संस्था का नाम एवं पता – ....
....
....

2 मालिक/प्रोपाईटर का नाम – **..**
..

3 फर्म का स्वभाव – ....
....

चिन्हांकित कीजिए–शासकीय/पब्लिक/प्राईवेट/पार्टनरशीप/प्रोपराईटर

4 कार्यालय का पता – ....
....
....
मोबाइल नं...
फैक्स नं..

5 संपर्क हेतु पता – ....
....
....
मोबाइल नं...
फैक्स नं..

6 श्रम कार्य हेतु
(01) पंजीयन नंबर ....

(02) पेन नंबर ....

(03) जी.एस.टी. नं. ....

(04) पी. एफ. नं. ....

(05) ई. पी. एफ. विगत दो वर्षो का सी.ए. द्वारा सत्यापित बैलेंसशीट एवं आयकर विवरण

फोन नं. –..

फैक्स नं. –..

ईमेल पता –..

2. अमानत राशि विवरण–

1. राशि रू...रसीद क्र...............................दिनांक...............................
2. राशि रू...बैक ड्राफ्ट क्र................................दिनांक..................................
3. जारीकर्ता बैंक का नाम...

3. नियम एवं शर्ते

1. निविदा प्रपत्र स्पष्ट (पठनीय)भरी जानी चाहिए। काट–छाट की दशा में लघु हस्ताक्षर अवश्य किया जावें।
2. **श्रमिक नियोजित करने हेतु राशि रू. 50000/– डी.डी.** निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगें।
3. कलेक्टर दर पर श्रमिक नियोजित होने की दशा में कमीशन और जी.एस.टी. का भुगतान कारखाना द्वारा किया जावेगा, एवं नियमानुसार टैक्स की कटौती की जावेगी।
4. कार्य संपादित कराने की जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
5. कार्य कारखाना में अधिकारियों के निर्देशन में संपन्न करना होगा। अनुशासनहीनता पाये जाने पर कार्य से पृथक किया जा सकता है।
6. ठेकेदार को कारखाना अधिनियम, श्रम अधिनियम एवं अन्य संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
7. कार्य के दौरान सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं को करना होगा।
8. कार्य प्रभावित होने की स्थिति में प्रति घंटा 5000/– आर्थिक दंड किया जावेगा। जो भुगतान बिल की राशि से कटौती की जावेगी।
9. संतोष जनक कार्य नहीं होने की स्थिति में किसी भी समय कार्य आदेश रद्द किया जा सकता है।
10. पेराई सीजन खत्म होने पर कार्य स्वतः समाप्त माना जावेगा, एवं कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण न करने की स्थिति में भुगतान नहीं किया जावेगा।
11. कारखाना प्रबंधन उपर्युक्त के अलावा भी नियम/शर्ते लागू कर सकेगा। जो ठेकेदार को पालन करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने अथवा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति में कारखाना
13. प्रबंधन का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

14. कारखानें में कार्य प्राप्त होने पर श्रमिक नियोजन से संबंधित ठेकेदार कारखानें के मांग अनुसार बालोद जिले का श्रम विभाग से 15 दिवस के भीतर करवाकर कारखाना को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
15. उन कार्यो पर जिनका दर निविदा में एल–1 फर्म की दर का है, निगोसिएशन में उसी कार्य का दर अन्य फर्म द्वारा और कम दर प्रस्तुत किये गये है, उन कार्यो को निविदा में प्राप्त एल–1 दर वाली फर्म का प्रथम प्राथमिकता दी जावेगी। फर्मों के द्वारा कम दर पर कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है, अथवा निर्धारित अवधि में कार्य नहीं करने पर उन कार्यो के वास्तविक निगोसियेशन एल–1 दर जिस फर्म ने प्रस्तुत किये है उन फर्म को कार्य हेतु आदेशित किया जायेगा।
16. श्रमिक ठेकेदार को श्रमिक ठेकेदारी अन्य स्थान पर कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक हैं ।
17. किसी भी परिस्थिति में टेण्डर को स्वीकृत/अस्वीकृत रद्द करने का पूर्ण अधिकार कमेटी की ही होगी।
18. अनुबंध राशि रूपये 50/– का स्टाम्प पेपर में करना होगा।

घोषणा

कारखाना द्वारा उपरोक्तानुसार आमंत्रित निविदा में उल्लेखित नियम एवं शर्ते मेरे/हमारे द्वारा पढ़/समझ लिया है। जो मुझे मान्य है। अतः इस निविदा की व्यावसायिक भाग में मेरे द्वारा दर प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

दिनांक............................

निविदाकार का नाम
हस्ताक्षर एवं सील

व्यावसायिक भाग–दो लिफाफा क्रमांक –2

विभिन्न कार्यों हेतु श्रमिक नियोजन के माध्यम से कराने हेतु निविदा प्रपत्र।

प्रति,

प्रबंध संचालक
दं.मै.स.श.का.मर्या.बालोद

कारखाना पेराई सीजन 2019–20 के लिए आमंत्रित निविदा क्रमांक / श.का.बा. / स्था. / 2019 / 468 दिनांक 27 / 11 / 2019 के निविदा प्रपत्र भाग में मेरे / हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं दिये गये नियम एवं शर्तों पर अपनी सहमति प्रदान करते हुए निम्नानुसार दर भर रहें / रहा है।

कार्य का विवरण एवं कारखानें में श्रमिक नियोजन–

1.	केन कैरियर में ट्रक से गन्ना अनलोड करना, केन कैरियर में फिडिंग करना, केन कैरियर के नीचे सफाई एवं केनयार्ड की पूर्ण सफाई फाईब्राईजर के नीचे की सफाई आदि कार्य।	दर (रू.) प्रति माह (अंकों में).. (शब्दों में)..
2.	कारखानें के शुगर हाउस में ग्रेडर से निकले ग्रेड अनुसार शक्कर को बैगिंग करना, तौल करना, एंव ग्रेड अनुसार गोदाम तक पहुंचाना तथा छल्ली लगाना।	कारखाना से बाहर स्थित गोदाम दर रू. प्रति बोरा (50 कि.ग्रा) (अंकों में).. (शब्दों में)..
3	सीजन के दौरान शुगर ग्रेडर खराब होने की स्थिति में शुगर बैगिग का कार्य हापर में बनाये गये अस्थाई शूट से करना। प्रति बोरा 50 कि.ग्रा.	दर रू. प्रति बोरा (50 कि.ग्रा) (अंकों में).. (शब्दों में).. ....
4	क्रिस्टलाईज्र में रखी स्क्रेपिन शुगर को क्रिस्टलाईज्र गटर के माध्यम से खाली करना, क्रिस्टलाईज्र की साफ–सफाई करना। दर प्रति क्रिस्टलाईज्र। कुल क्रिस्टलाईज्र संख्या 04।	दर रू. प्रति क्रिस्टलाईज्र (अंकों में).. (शब्दों में).. ....
5	सीजन के दौरान निकली स्क्रेपिंग शुगर जो कि बोरो में भरकर हापर नम्बर 3 के पीछे रखी है को क्रिस्टलाईज्र में गलाना बताये गए निर्देशानुसार। सीजन समाप्ति के दौरान कान्टी मशीनों से निकली ब्राउन शुगर को बोरों में भरना–तौलना सिलाई करना एवं गोदाम में रखना। प्रति बोरा 50 कि.ग्रा.	दर रू. प्रति बोरा (50 कि.ग्रा) (अंकों में).. (शब्दों में).. ....

6	गन्ना पेराई समाप्ति के बाद बायलिंग हाउस, सेन्ट्रीफ्यूगल हाउस एवं ड्रायर हाउस के यंत्र–सयंत्र में चीनी रह जाती है जिसकों खुरचकर सफाई की जाती है एवं बोरों में भरकर रखा जाता है। गीली चीनी को क्रिस्टलाईज्र में रखा जाता है उसके बाद सम्पूर्ण बायलिंग हाउस, सेन्ट्रीफ्यूगल हाउस एव ड्रायर हाउस की धुलाई एवं सफाई कार्य करना।	कुल दर सभी कार्यो के लिए (अंकों में).. (शब्दों में).. ....
7.	चूना सल्फर फिडिंग तथा कारखाने के समस्त स्थानों पर साफ सफाई हेतु श्रमिक नियोजन ।	दर रूपये प्रति माह (अंकों में).. (शब्दों में)..................................
8.	कारखाना के लिए प्राप्त होने वाले सामाग्री अनलोड कर निर्धारित स्थान पर पहुंचाना जैसे चूना, सल्फर जो कारखानें के मांग के अनुसार व अन्य कार्य ।	दर रूपये प्रति क्विंटल (अंकों में).. (शब्दों में)..................................
9.	शुगर गोडाउन स्थायी/अस्थायी गोदाम से शक्कर की गाडी भरना (पी.डी.एस. के अतिरिक्त) तथा शक्कर गोडाउन स्थायी/अस्थायी गोदाम की साफ–सफाई रखना, शक्कर लाट की सुरक्षा इत्यदि।	दर रूपये प्रति क्विंटल (अंकों में).. (शब्दों में)..................................
10.	गोडाउन के फटे बोरे की रिबैगिंग करना (बोरी भरना, तौलना, सीलना तथा पुनः लॉट पर रखना एवं गलाई स्थान पर ले जाना।)	दर रूपये प्रति क्विंटल (अंकों में).. (शब्दों में)....................................
11.	सीजन के दौरान जूस हीटर के ट्यूबों की सफाई कार्य किया जाता है।	दर प्रति जूस हीटर (अंकों में)...................................... (शब्दों में)..................................
12.	सामान्य सफाई के दौरान निम्न कार्य कराया जाता है जिसका विवरण निम्नवत है :– 1. सेमीकेस्टनर ट्यूबों की संख्या 1316 लम्बाई 4500 एम. एम. (दर प्रति सेमीकेस्टनर) 2. क्वार्ड प्रथम बॉडी ट्यूबों की संख्या 3324 लम्बाई 2000 एम.एम. (दर प्रति बॉडी)। 3. क्वार्ड द्वितीय बॉडी ट्यूबों की संख्या 1504 लम्बाई 2000एम.एम. (दर प्रति बॉडी)। 4. क्वार्ड तृतीय बॉडी ट्यूबों की संख्या 940 लम्बाई 2000एम.एम. (दर प्रति बॉडी।) 5. पैन की ट्यूबो की सफाई पैनों की कुल संख्या 4 एवं ट्युबो की संख्या प्रति पैन लगभग 1100 एवं लम्बाई 759 एम.एम. (दर प्रति बॉडी।) **टिप्पणी:–** उपरोक्त कार्य सामान्य सफाई के दौरान 40 घंटे में करना होगा।	(अंकों में).. (शब्दों में)..

नोट– श्रमिक संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। जो कारखाना के मांग के अनुरूप ठेकेदार को पूर्ण करना होगा। कार्य पूर्ण करना ठेकेदार का दायित्व होगा। कार्य प्रभावित होने पर 20000/– रूपये प्रति घण्टा आर्थिक दण्ड के रूप में ठेकेदार को देना होगा।

दिनांक..........................

निविदाकार का नाम
हस्ताक्षर एवं सील

अनुबंध की नियम एवं शर्तें–

1. पक्षकार क्रमांक 02 श्रमिक ठेकेदार को संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 की धारा 12 के तहत श्रमिक नियोजित हेतु वैध अनुज्ञप्ति धारी होना अनिवार्य होगा। या कार्य प्राप्त होने पर 15 दिनों में अनुज्ञप्ति (पंजीयन) प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगें।
2. यह कि प्रथम पक्षकार की मांग अनुसार संख्या में द्वितीय पक्षकार द्वारा कारखानें के लिए श्रमिकों की कुशलता एवं अनुभव के आधार पर तकनीकि एवं गैर तकनीकि ठेका श्रमिकों की सेवाएं उपलब्ध कराया जावेगा। पक्षकार क्र. 01 ठेका श्रमिक की संख्या में कभी संसोधन परिवर्तन अथवा निरस्तीकरण कर सकेगा।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिकों के एवज में प्रथम पक्ष द्वारा कार्य आदेश में उल्लेखित अनुसार पारिश्रामिक एवं पात्रता अनुसार जी.एस.टी. दिया जावेगा। ठेका श्रमिकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के एवज में ठेका श्रमिकों को देय पारिश्रमिक का 5 प्रतिशत की दर से कमीशन राशि का भुगतान पक्षकार क्रमांक 01 द्वारा पक्षकार क्रमांक 02 को किया जायेगा।
4. द्वितीय पक्षकार प्रचलित श्रम नियमों कानूनों तथा कारखाना में ठेका श्रमिकों की सेंवाएं प्रदान करने संबंधित समस्त नियमों एवं कानूनों और इस संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों के साथ ही कारखाना प्रबंधन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेगा।
5. द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबंध के 15 दिवस के भीतर श्रमिक पंजीयक बालोद का (लाईसेंस) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
6. पक्षकार क्रमांक 02 के द्वारा अनुबंध निष्पादित होने की तिथि के 15 दिवस के भीतर कुल श्रम मूल्य (पारिश्रमिक) का 5 प्रतिशत अमानत राशि कारखानें के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट, एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। यह अमानत राशि अनुबंध की समाप्ति की तिथि से 30 दिवस के भीतर बिना व्याज के वापस किया जायेगा।
7. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिक कारखाना के अधिकारियों के निर्देशन में ही कार्य संपन्न करेंगें। ठेका श्रमिकों द्वारा आदेशों के अवहेलना करने/कारखाना को प्रत्यक्ष

या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाने या अवांछनीय गतिविधियों तथा हड़ताल विरोध प्रदर्शन तालाबंदी, कामबंदी इत्यादि में संलिप्त रहने अथवा कार्य में गुणवत्ता का अभाव पाये जाने की स्थिति में प्रबंधन के निर्देश पर ऐसे ठेका श्रमिकों को तत्काल कार्य से पृथक करना होगा। तथा कारखानें के द्वारा मांग किये जाने पर उसके स्थान पर नया ठेका श्रमिक उपलब्ध कराना होगा।

8. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया कोई भी ठेका श्रमिक कारखाने द्वारा नियोजित कर्मचारी/ठेका श्रमिक नहीं कहलायेगा। ठेका श्रमिक का नियोक्ता संबंधित श्रमिक ठेकेदार ही रहेगा।
9. संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनयम 1970 छ.ग. नियम 1973 के नियम 76 में दिये गये प्रावधान के अनुसार द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्येक ठेका श्रमिकों को नियमानुसार नियुक्ति पत्र/फोटो युक्त प्रदान करने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 02 की होगी।
10. द्वितीय पक्षकार द्वारा अपने ठेका श्रमिकों के लिए अनिवार्य रूप अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर एक फोटो युक्त परिचय पत्र जारी किया जावेगा। जिसमें ठेका श्रमिक का नाम पिता या पति का नाम स्थानीय पता पद मजदूरी दर बैंक का नाम अंकित रहेगा। परिचय पत्र तीन–तीन प्रतियों में बनाया जावेगा। परिचय पत्र में ठेकेदार के हस्ताक्षर होंगें। तथा प्राधिकृत अधिकारी के रूप में जिले के प्रभारी श्रम पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत श्रम निरीक्षक का हस्ताक्षर कराया जाना आवश्यक होगा। परिचय पत्र की एक प्रति संबंधित ठेका श्रमिक को लेमिनेशन करवाकर प्रदाय करवाने की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदारो की होगी। परिचय पत्र की एक प्रति संबंधित ठेकेदार के अभिलेख में संधारित की जावेगी। तथा परिचय पत्र की एक प्रति जिले के प्रभारी श्रम पदाधिकारी अथवा उनके अधिकृत पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की ही होगी। परिचय पत्र की एक सत्यापित छायाप्रति पक्षकार क्रमांक 01 के कार्यालय में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी पक्षकार क्रमांक 02 को श्रमिक ठेकेदार की ही होगी।
11. श्रमिक ठेकेदार यदि किसी ठेका श्रमिक को कार्य से पृथक करता है तो उसको जारी परिचय पत्र अनिवार्य रूप से निरस्त कर पक्षकार क्रमांक 01 को तथा संबंधित श्रम पदाधिकारी लिखित रूप से सूचित करने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 02 की रहेगी।
12. प्रत्येक सीजन की समाप्ति अथवा अनुबंध समाप्ति होने पर संबंधित ठेका श्रमिकों से परिचय पत्र की वापस लेने की जिम्मेदारी पक्ष क्रमांक 02 की रहेगा। ताकि उक्त परिचय पत्र का किसी प्रकार का दुरूपयोग ना हो पाये।
13. परिचय पत्र का प्रारूप निम्नानुसार रहेगा :–

परिचय पत्र

PHOTO

नाम/पिता या पति का नाम..

1. स्थानीय पता...
2. पद/मजदूरी दर...
3. बैंक का नाम व खाता नंबर..
4. ठेकेदार/फर्म का नाम एवं पता...
5. प्रमुख नियोक्ता का नाम एवं पता..

निर्देशः–

1 जिस व्यक्ति को यह परिचय पत्र जारी किया गय है वह इसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

2 यह परिचय पत्र स्थानांतरण होने/सेवामुक्त/कार्य से पृथक होने पर वापस किया जायेगा।

3 परिचय पत्र की खो जाने ठेकेदार अथवा प्राधिकृत अधिकारी को इसकी सूचना दी जावें।

4 पुनः कार्ड बनवाने पर निर्धारित शुल्क देय होगा।

5 यह परिचय पत्र अहस्तांतणीय है।

14. पक्षकार क्रमांक 02 की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये समस्त ठेका श्रमिक कार्य के दौरान अनिवार्य रूप से फोटोयुक्त परिचय पत्र गले में अथवा जेब के उपर दृष्टिगोचार स्थान पर अनिवार्य रूप से लगावें।

15. यदि कोई ठेका श्रमिक कार्य छोड़ देता है अथवा संबंधित ठेकेदार उसे कार्य से पृथक कर देता हैं उस स्थिति में उन ठेका श्रमिकों को व्यक्तिगत ईपीएफ खाते में जमा राशि को संबंधित ईपीएफ कार्यालय से भुगतान दिलाने की जिम्मेदारी संबंधित श्रमिक ठेकेदार पक्षकार क्र. 02 की ही होगी।

16. पक्षकार क्र. 02 के द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिकों को कारखानें द्वारा निर्धारित मान से पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित ठेकेदार को ही किया जावेगा। संबंधित ठेकेदार की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने श्रमिकों को तीन दिवस के भीतर उनके बैंक खातों के माध्यम से कारखाना से प्राप्त पारिश्रमिक का भुगतान अनिवार्य रूप से करें। पारिश्रमिक भुगतान में चूक करने पर संबंधित ठेकेदार के विरूद्ध पक्षकार क्र. 01 के द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

17. यदि किसी कारण से द्वितीय पक्षकार कारखाना को ठेका श्रमिक उपलब्ध कराने में अस्मर्थ रहता है तो एक माह पूर्व प्रथम पक्षकार को लिखित सूचना करना अनिवार्य होगा। अन्यथा

अमानत राशि जब्त करने के अलावा कारखानें को होने वाले क्षति के भरपाई के लिए दावा भी किया जा सकेगा।

18. उभय पक्षों के बीच हुऐ अनुबंध की शर्तों को समस्त ठेका श्रमिकों को अवगत कराना द्वितीय पक्षकार का उत्तर दायित्व होगा।
19. यह अनुबंध पेराई सत्र 2019–20 की समाप्ति तक ही मान्य होगा। किन्तु कारखाना प्रबंधन कार्य की आवश्यकता आधार पर किसी भी समय अनुबंध समाप्त कर सकेगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति द्वारा अनुबंध ऑफ सीजन के लिए आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। किन्तु ऑफ सीजन में ठेका श्रमिकों की संख्या में परिवर्तन श्रमिकों के कार्य के आवश्यकतानुसार ही की जावेगी।
20. प्रथम पक्षकार से प्राप्त पारिश्रमिक राशि को द्वितीय पक्षकार द्वारा संबंधित ठेका श्रमिकों को बैंक खाते के माध्यम से तीन दिवस के भीतर भुगतान किया जाकर भुगतान विवरण तथा सर्विस टेक्स चालान की प्रति प्रथम पक्षकार को 07 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
21. द्वितीय पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराया गया ठेका श्रमिकों के संबंध में जानकारी तथा ठेका श्रमिक का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, कार्यानुभव, वर्तमान पत्र व्यवहार का पता, पूर्ण स्थाई पता, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, ब्लड ग्रुप, ठेका श्रमिक के व्यक्तिगत ईपीएफ खाता नं. की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर किसी ठेका श्रमिक के संबंध में चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र, संबंधित विभाग, संबंधित थाने से प्राप्तकर प्रथम पक्षकार के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्षकार की रहेगी।
22. द्वितीय पक्षकार अपने ठेके श्रमिक के लिए व्यक्तिगत बीमा अथवा समूह बीमा प्रचलित नियमों के अनुसार कराने हेतु जिम्मेदार होगा। उक्त बीमा में दुर्घटना बीमा प्रचलित नियमों के अनुसार कराने हेतु जिम्मेदार होगा। उक्त बीमा में दुर्घटना बीमा एवं चिकित्सा व्यय की क्षतिपूर्ति इत्यादि सम्मिलित रहेगा। किसी प्रकार का दुर्घटना होने से क्षति पूर्ति दिलाने का उत्तरदायित्व पक्षकार क्रमांक 02 का रहेगा। ठेका श्रमिकों के बीमा का नवीनकरण समय पूर्व कराना द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी होगी। ठेका श्रमिकों के लिए कराये गये बीमा संबंधी दस्तावेज के सत्यापित प्रति संबंधित ठेका श्रमिकों को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 02 की होगी।
23. द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिक शाररिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य हो। तथा श्रम नियमो के अनुसार बाल श्रमिक ना हो।
24. श्रम पदाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों/आदेशों का पालन करना एवं श्रम विधि के अनुकूल वांछित दस्तावेज खाखा संधारण करना तथा आवश्यकता अनुसार सक्षम अधिकारियों से उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण कराने की जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्षकार की होगी। इसके अतिरिक्त बालोद श्रम विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

25. पक्षकार कमांक 02 के द्वारा उपलब्ध कराये गये ठेका श्रमिकों के लिए शक्कर कारखाना का सेवा नियम लागू नहीं होगा। तथा साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर किसी प्रकार के अन्य अवकाश तथा अवकाश वेतन की पात्रता नहीं होगी। ठेका श्रमिकों को पारिश्रमिक का भुगतान किये गये कार्य दिवसों की गणना के आधार पर किया जावेगा।
26. पक्षकार क्रमांक 02 को कारखाना अधिनियम 1970 संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 छ.ग. नियम 1973 तथा अन्य प्रचलित कानूनों के तहत वांछित पंजी/दस्तावेज का संधारण करना अनिवार्य होगा। तथा उक्त दस्तावेजों का सत्यापन/निरीक्षण संबंधित सक्षम अधिकारी से कराने की जिम्मेदारी पक्षकार क्र. 02 की होगी।
27. पक्षकार क्र. 02 की यह जिम्मेदारी होगी कि कारखानें के चीफ इंजीनियर/कारखाना प्रबंधक के निर्देशानुसार अपने ठेका श्रमिकों को प्रचलित सुरक्षा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करावें। ठेका श्रमिकों के सुरक्षा संबंधी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित श्रमिक ठेकेदार पक्षकार क्र. 02 की होगी। अनुबंध निष्पादित होने के एक सप्ताह के भीतर पक्षकार क्रमांक 02 अपने ठेका श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण तथा हेलमेट, दास्ताने, सेफ्टी जूते, सेफ्टी चश्मा, सेफ्टी बेल्ट एवं ड्रेस कोड अनुसार वर्दी इत्यादि कार्य स्थल के अनुसार स्वयं उपलब्ध करायेगा। उपरोक्तानुसार सुरक्षा उपकरण इत्यादि संबंधी विभागाध्यक्षों/चीफ इंजीनियर के सुझाव अनुसार आवश्यक मात्रा/संख्या में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पक्षकार क्रमांक 02 की होगी।
28. पक्षकार क्रमांक 02 की यह जिम्मेदारी होगी कि कारखाना तीनों पालियों में कार्य के दौरान अपने ठेका श्रमिको के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक पालियो में एक नियंत्रणकर्ता सुपरवाईजर रखेगा। जिसका यह दायित्य होगा कि वह संबंधित ठेका श्रमिकों के कार्यों की निगरानी रखें। तथा पक्षकार क्रमांक 01 के संबंधित शाखा के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें। तथा अपने ठेका श्रमिकों के हाजिरी के संबंध में शिफ्टवार दैनिक जानकारी टाईम ऑफिस में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
29. पक्षकार क्र.02 के द्वारा उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त/शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्य समाप्त कर श्रमिक ठेकादार को काली सूची में दर्ज किया जाकर कार्य से पृथक किया जायेगा। तथा उनके ठेका श्रमिकों को आवश्यकतानुसार अन्य पंजीकृत श्रमिक ठेकादार के माध्यम से कार्य पद लिया जावेगा।
30. पक्षकार क्रमांक 01 एवं 02 के मध्य किसी विवाद के निराकरण हेतु संबंधित क्षेत्र का सहकारी न्यायालय सक्षम होगा।
31. ईपीएफ कोड नं. होना एवं गत एक वर्ष का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही ई.पी. एफ. संबंधित समस्त कार्य ठेकेदार दायित्व होगा।
32. किसी भी कार्य के लिए तीन दर प्रस्तुत होने पर ही विचार किया जायेगा। तीन दर से कम पर कमेटी का ही निर्णय मान्य होगा।

33. उक्त निविदा फार्म दिनांक 18.11.2019 से 27.11.2019 तक प्राप्त कर दिनांक 27.11.2019 को 2.00 बजे तक जमा किया जा सकता है। एवं 2.30 बजे के बाद निविदा खोला जावेगा।
34. ई.पी.एफ. संबंधित समस्त कार्य ठेकेदार को अनिवार्य करना होगा।
35. उपरोक्त नियम एवं शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा आपका निविदा निरस्त किया जावेगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

हम प्रथम एवं द्वितीय पक्ष उपर दर्शाये गये शर्तों को पढ़कर एवं समझकर अनुबंध पत्र आज दिनांक..को स्थान...में निष्पादित करते है।

प्रथम पक्षकार	**द्वितीय पक्षकार**
दं.मै.स.श.का.मर्या.बालोद	श्रमिक ठेकेदार/ठेकेदार फर्म का नाम
हस्ताक्षर..	
नाम/पदनाम..	हस्ताक्षर..
....	नाम/पदनाम..
पूर्ण पता..	....
....	पूर्ण पता..
....	....
....	....
गवाह– 01	....
नाम..	
हस्ताक्षर..	
गवाह–02	
नाम..	
हस्ताक्षर..	